भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2531

दिनांक 10 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी लिमिटेड की लारा परियोजना से प्रभावित परिवारों को रोजगार

2531#. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि एनटीपीसी लिमिटेड की लारा परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया था तथा उक्त भूमि छत्तीसगढ़ की आदर्श पुनर्वास नीति के अनुपालन की शर्त पर लीज पर उपलब्ध कराई गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि भू-अर्जन से प्रभावित पात्र व्यक्तिओं को रोजगार उपलब्ध कराए जाने के संबंध में समझौते में स्पष्ट प्रावधान या उल्लेख किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हाँ, तो अब तक कुल कितने नियमित पदों पर भर्ती की गई है और उनमें से भू-अर्जन से प्रभावित परिवारों के कितने सदस्यों को नियमित नियुक्ति प्रदान की गई है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : छत्तीसगढ़ सरकार के उपक्रम छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) ने 2003.69 एकड़ (810.88 हेक्टेयर) भूमि का अधिग्रहण किया था तथा इस भूमि को एनटीपीसी लिमिटेड को लारा सुपर थर्मल पावर परियोजना की स्थापना हेतु पट्टे पर उपलब्ध कराया था।

भूमि पट्टा करार के स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार, एनटीपीसी लारा के लिए जिला प्रशासन द्वारा संबंधित भूमि अधिग्रहण अवार्ड में निर्धारित सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।

(ख) एवं (ग) : भूमि अधिग्रहण अवार्ड में पात्र व्यक्तियों को रिक्तियों की उपलब्धता तथा उनकी उपयुक्तता के अध्यधीन रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, सीमित

रोजगार अवसरों को ध्यान में रखते हुए, अवार्ड में यह भी प्रावधान है कि नियमित रोजगार के स्थान पर पात्र परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) को उनके विकल्प के अनुसार वार्षिकी अथवा एकमुश्त पुनर्वास सहायता जैसे वैकल्पिक पुनर्वास उपाय प्रदान किए जा सकते हैं।

तदनुरूप, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएंडआर) के संबंध में भूमि अधिग्रहण अवार्ड के प्रावधानों का पालन करते हुए, एनटीपीसी लारा ने पुनर्वास उपाय के रूप में 1,794 पीएपी को एकमुश्त पुनर्वास सहायता तथा 67 पीएपी (कुल 1,861 पीएपी में से) को 30 वर्षों के लिए वार्षिकी प्रदान की है।

इसके अलावा, एनटीपीसी लारा ने एनटीपीसी भर्ती नियमों और नौकरी विनिर्देशों के अनुसरण में स्वीकृत अपेक्षित कुशल श्रेणी योग्यता वाले पात्र पीएपी/स्वीकृत नामित व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से 79 कुशल श्रेणी पदों को मंजूरी दी है। स्वीकृत 79 कुशल श्रेणी पदों में से 57 नियमित नियुक्तियां की गई हैं।

****